दिनांक 25 फरवरी, 2025

थाना गुलावठी

पति की हत्या की घटना में वांछित पत्नी आलाकत्ल सहित गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 23.02.2025 को वादिया आजाद कौर पत्नी स्व0 भगवाना निवासी ग्राम भटौना थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना गुलावठी पर तहरीर दी गयी कि उसके पुत्र पिंटू की उसकी पत्नी बीना ने हत्या कर दी हैं। उक्त घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गुलावठी पर मुअसं- 72/25 धारा 103(1)/61(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

उक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 25.02.2025 को थाना गुलावठी पुलिस द्वारा अभियुक्ता बीना को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशादेही पर आलाकत्ल चुनरी को भी बरामद कर लिया गया। अभियुक्ता की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना गुलावठी पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्ता को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

बीना पत्नी स्व0 पिन्टू निवासी ग्राम भटौना थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 01 चुनरी (आलाकत्ल)

हत्या का कारण:- दोनों पित पत्नी के मध्य गृह क्लेश रहता था। पित को शराब पीने की आदत थी। दिनांक 21/22.02.2025 की रात्रि दोनों पित पत्नी के मध्य झगड़ा हुआ। मृतक पिंटू शराब के नशे में था। झगड़े के मध्य पत्नी बीना ने अपने पित पिंटू का गला अपनी चुन्नी से घोंट दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इसके पश्चात अपने पित के शव को चारपाई पर लिटा दिया और रज़ाई उड़ा दी जिससे लोगों को लगे कि मृतक पिंटू सो रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1. श्रीमती सुनीता मलिक थाना प्रभारी थाना गुलावठी
- 2. उ0नि0 राजेन्द्र सिंह, म0उ0नि0यू0टी0 मीन्
- 3. है0का0 नरेन्द्र कुमार, है0का0 किरनपाल, का0 रोहित राणा, म0का0 कोमल



मीडिया सेल बुलंदशहर